पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फैक्स नं0–0612–2210118
-mail-dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

बाढ़ आपदा एवं अग्निकाण्ड से निपटने एवं बचाव कार्य के सम्यकरूपेण संचालन हेतु पोलीथीन शीट्स की आवश्यकता को देखते हुए अल्पकालीन निविदा सं0–05/2020–21 में प्राप्त निविदाओं में स्वीकृत L-1 फर्म मेसर्स M.K Traders, House no-68 P.P Colony patna 800013 वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में निविदा शर्त के अनुसार पोलीथीन शीट्स आपूर्ति हेतु दर निर्धारित है।

जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–713/आ0प्र0 दिनांक 22.06.2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में मेसर्स M.K. Traders, House no-68 P.P Colony patna 800013 को निम्नरूपेण पोलीथीन शीट्स आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है जिसकी विवरणी निम्नवत है:–

क्र0	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का नाम	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	जिला का नाम	मात्रा	निर्धारित दर प्रति किलोग्राम
01	02	03	04	05	06	07	08
1	मेसर्स M.K. Traders, House no-68 P.P Colony patna 800013	पोलीथीन शीट्स	Low Density Polyethylene Black Sheets (LDPE) 250 Micron एवं GeM द्वारा निर्धारित IS: 2508/84 मानक के अनुसार	4 मीटर X 5 मीटर	बक्सर	5,000 (पाँच हजार) पीस	@99.36 (निनानवे रूपये छत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम सभी कर अधिभार परिवहन व्यय सहित।

(1) आपूर्तिकर्त्ता को पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति उपर दिये गये विवरणी/प्रकाशित निविदा शर्तों एवं एकरारनामा के अनुरूप करनी होगी।

(2) पोलीथीन शीट्स Low Density Polyethylene Black Sheets (LDPE) 250 Micron एवं GeM द्वारा निर्धारित IS: 2508/84 4mx5m का 99.36 (निनानवे रूपये छत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम की दर से (सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित संबंधित जिला को) 02 वर्षो तक आपूर्ति करनी होगी।

(3) आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा तथा उपरोक्त दर के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।

(4) अधियाचित जिला मुख्यालय तक आदेशानुसार पोलीथीन शीट्स पहुँचाने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी। संबंधित जिलों द्वारा पोलीथीन शीट्स प्राप्त किये जाने का प्रमाण–पत्र, पोलीथीन शीट्स की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन, CIPET का जाँच प्रतिवेदन नोडल जिला पटना को जमा करना होगा। भुगतान के पूर्व अद्यतन बिक्री कर चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात आपूरित पोलीथीन शीट्स की गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप संतोषप्रद पाये जाने पर सभी वैधानिक कटौतियों के उपरान्त आपूर्तिकर्त्ता को फर्म के नाम से RTGS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

फोन न० 0612-2210118 (का०)
फैक्स न०-0612-2210118
E-mail-dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

(5) आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति CIPET (Central Institute of Plastic Engineering & Technology, Hajipur) द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित (Quality test/Inspection) करवाकर संबंधित जिला को आपूर्ति की जानी है। संबंधित जिला के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त किये गये पोलीथीन शीट्स को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा गठित कमिटि के सत्यापनोपरान्त आपूर्ति ली जायेगी। आपूरित पोलीथीन शीट्स की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने एवं CIPET Hajipur से सत्यापनोंपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर GST के निर्धारित नियमों एवं आयकर की कटौती कर नोडल जिला पटना द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(6) पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों के भीतर बक्सर जिला को आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा किया जायेगा।

(7) ससमय पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति नहीं की जाती है तो वैसी स्थिति में विधिवत कानूनी कार्रवाई करते हुए आपके फर्म को काली सूची में डाली जाने हेतु विधि सम्मत कार्रवाई के साथ जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

(8) निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(9) कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पटना के अधीन होगा

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1824 /आ0प्र0, दिनांक 31/07/2020

प्रतिलिपिः– बालमुकुन्द प्रिंस, मेसर्स M.K. Traders, House no-68 P.P Colony patna 800013 मो0–8002140009 एवं 7070107070 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। विलम्ब की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।

प्रतिलिपिः– नाजिर, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूरित पोलीथीन शीट्स का अभिश्रव संबंधित जिला से प्राप्ति के साथ भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक–713 दिनांक 22.06.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

30/7/20

जिला पदाधिकारी,
पटना।